यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी)** के माह 07/2015 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 23.05.2018 से 30.05.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मौर्या एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 13.07.2015 से 23.07.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2012 से 06/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की **जाँच** की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की **जाँच** की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अनुरुप 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुरुप प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौडी गढवाल के चार विकास खण्डों क्रमशः जयहरीखाल, कल्जीखाल, एकेश्वर एवं पोखडा हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	1493.57	1338.99	175.66	156.48	–	154.58	–	19.18
2016–17	–	–	1665.18	1514.51	180.96	161.94	–	150.67	–	19.02
2017–18	–	–	2881.70	1557.51	182.56	178.71	–	1324.19	–	3.85

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015—16		—	1452.69	1305.49	—	147.20
2016—17	पी0एम0जी0एस0वाई0	—	1606.56	1457.25	—	149.31
2017—18		—	2073.61	1528.08	—	545.53

नोट :— बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर—स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

प्रमुख सचिव/सचिव

⇩

मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0

⇩

मुख्य अभियंता (गढवाल)

⇩

अधीक्षण अभियंता, श्रीनगर वृत्त

⇩

अधिशासी अभियंता

⇩

सहायक अभियंता (06)

⇩

कनिष्ठ अभियंता (11)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0 एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी)** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जॉच हेतु उसके अधिकतम व्यय के आधार पर चयनित किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 15 निर्माण कार्यों (पूर्ण–13 एवं अपूर्ण–02) का विस्तृत विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में जून 2017 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्ववार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।

5. फार्म 51 माह 03/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम : शून्य

भाग द्वितीय : शून्य

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 03/2018 के अन्त में : शून्य

7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्व रहे।

   1. श्री राम प्रकाश शर्मा, दिनॉक 29.02.2014 से 20.02.2016 तथा वर्तमान में रिक्त है।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत चौडाई अधिक किए जाने से ` 135.48 लाख का परिहार्य व्यय।

आई0आर0सी0 विशिष्टियों के अनुसार यदि किसी लिंक मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से अधिक मोटर वाहनों का यातायात घनत्व हो तो यातायात (carriage way) हेतु पक्की सडक की चौडाई 3.75 मी0 तथा यदि मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से कम मोटर वाहनों का यातायात घनत्व हो तो चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी) के निर्माण कार्यो के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड में पक्की सडक की चौडाई हेतु आई0आर0सी0 विशिष्टियों में निर्धारित मानकों के अनुरुप चौडाई में एकरुपता नहीं थी। जहॉ चार लिंक मोटर मार्गो (पोखर से खुरकपाल, पाटीसैण्ड–एकेश्वर से तजवार, पंचवटी से गडोली एवं भैडगढी से गुडिंडा) में वार्षिक औसतन दैनिक यातायात (ए0ए0डी0टी0) 100 से कम था वहॉ पर तो कैरेज–वे हेतु पक्की सडक की चौडाई विशिष्टियों के अनुरुप 3.00 मी0 प्रावधानित एवं सम्पादित की गई परन्तु बूंगा–साकनीखेत से भेडगॉव जिसमें ए0ए0डी0टी0 मात्र 70 थी उसमें चौडाई 3.75 मी0 ली गई, जबकि विशिष्टियों के अनुसार प्रति दिन 100 से अधिक मोटर वाहनों का यातायात घनत्व होने पर ही पक्की सडक की चौडाई 3.75 मी0 ली जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मार्गों में कैरेज–वे की चौडाई वार्षिक औसतन दैनिक यातायात (ए0ए0डी0टी0) के आधार पर ली गई है जो कि प्रतिदिन 100 से कम है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि ए0ए0डी0टी0 के आधार पर पक्की सडक की चौडाई ली गई थी तो बॅूगा–साकनीखेत से भेडगॉव मोटर मार्ग में भी चौडाई 3.00 मी0 ली जानी चाहिए थी। जबकि बॅूगा–साकनीखेत से भेडगॉव मोटर मार्ग में ए0ए0डी0टी0 मात्र 70 होने पर भी चौडाई 3.75 मी0 ली गई। परिणामतः मानकों से अधिक 0.75 मी0 चौडाई में डब्ल्यू0बी0एम0 एवं पी0सी0 कार्य किए जाने पर ` 135.48 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	मार्ग की लम्बाई (मी0)	विशिष्टियों के अनुसार सडक की चौडाई (मी0)	सम्पादित सडक की चौडाई (मी0)	अधिक चौडाई	मात्रा	अतिरिक्त कर्व (10%)	पासिंग स्थल	कुल मात्रा	अनुबन्धित /देयक दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	जी0एस0बी0	21080.00	3.00	3.75	0.75	1581.00	158.10	78.75	1817.85	1250.00	2272312.50

	जी–2	21080.00	3.00	3.75	0.75	1581.00	158.10	78.75	1817.85	1650.00	2999452.50
2.	जी–3	21080.00	3.00	3.75	0.75	1185..75	118.58	59.06	1363.39	1750.00	2385932.50
3.	प्राईमर कोट	21080.00	3.00	3.75	0.75	15810.00	1581.00	787.50	18178.50	41.00	745318.50
4.	टैक कोट	21080.00	3.00	3.75	0.75	15810.00	1581.00	787.50	18178.50	13.00	236320.50
5.	प्रीमिक्स कारपेट	21080.00	3.00	3.75	0.75	15810.00	1581.00	787.50	18178.50	190.00	3453915.00
6.	सील कोट	21080.00	3.00	3.75	0.75	15810.00	1581.00	787.50	18178.50	80.00	1454280.00
	योगः–										**13547531.50**

अतः आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत चौडाई अधिक किए जाने से ` 135.48 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

Calculation

- GSB = Length x Bidth x Depth i.e. 21080m x 0.75m x 0.100m = 1581.00 cum
- G2 = Length x Bidth x Depth i.e. 21080m x 0.75m x 0.100m = 1581.00 cum
- G3 = Length x Bidth x Depth i.e. 21080m x 0.75m x 0.075m = 1185.75 cum
- PC (Primer coat, Tack coat, Premix Carpet & Seal coat) : 21080m x 0.75m = 15810.00 sqm
- Passing place for GSB = Total No. of passing place x passing place length x excess bidth x depth i.e. 42x25x0.75x0.100 = 78.75 cum
- Passing place for G2 = Total No. of passing place x passing place length x excess bidth x depth i.e. 42x25x0.75x0.100 = 78.75 cum
- Passing place for G3 = Total No. of passing place x passing place length x excess bidth x depth i.e. 42x25x0.75x0.075 = 59.06 cum
- Passing place for PC = Total No. of passing place (2 nos for 1 km & 25m length) x excess bidth i.e. 42x25x0.75 = 787.50 sqm

भाग—II 'ब'

प्रस्तर—1 संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण ` 25.90 लाख की राजस्व हानि।

शासनादेश संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/ 2007 दिनॉक 19.05.2016 के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनॉक 19.05.2016 से ` 194.50 प्रति घनमी0 के स्थान पर ` 154.00 प्रति घनमी0 कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी) के लेखा—अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में 06 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः—पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये है, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर नहीं की गई। परिणामस्वरुप ` 23.88 लाख (**संलग्नक—1**) की रायल्टी की वसूली देयकों से निर्धारित दरों से कम दरों पर की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय—समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। आगे, जॉच में पाया गया कि किमी0 18 से गोरली मोटर मार्ग में रायल्टी की कुल कटौती ` 2,41,763 आंकलित एवं गणना की गई परन्तु अन्तिम देयक संख्या 02 दिनॉक 31.12.2015 से मात्र ` 40,000 की ही कटौती की गई, परिणामतः ` 2,01,763 की वसूली नहीं की गई। इसप्रकार, रायल्टी की कम वसूली किए जाने से न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुॅचाया गया अपितु राज्य सरकार को भी ` 25.90 लाख[1] के राजस्व से बंचित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2016 से पूर्व की स्वीकृत कार्यों पर रायल्टी की कटौती पुरानी दरों से की जा रही है क्योंकि इन दरों में जो भी कर, रायल्टी आदि सम्मिलित है उन्हें तद्नुसार काटा जाता है। वर्ष 2016 के उपरान्त स्वीकृत कार्यों पर रायल्टी की नवीनतम दरों से कटौती की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय—समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। इकाई का प्रतिउत्तर कि कार्य स्वीकृति के समय की दरों पर ही कर, रायल्टी की जाती है, **स्वीकार नही किया जा सकता** है क्योंकि सामग्री का उपयोग एवं माप जिस समय प्रयुक्त की जाती है उस समय में निर्धारित दरों पर ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण ` 25.90 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

---

[1] रु 23.88 लाख एवं रु0 2.02 लाख

संलग्नक–1

कार्य का नाम	रॉयल्टी विवरण के अनुसार प्रयुक्त मात्रा			निर्धारित दर	दरों में अन्तर	वसूली गई धनराशि (3 x 4)	वसूली जाने वाली धनराशि (3 x 5)	कम वसूल की गई धनराशि (8 - 7)
	बिल सं / तिथि	पत्थर/ बालू/ ग्रिट	प्रदत्त दर					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Pokhar to Kurakhpal	09/ 30.03.2017	1906.68	80	154	74	160229.00	293628.72	133399.70
		85.49	90	154	64		13165.46	13165.46
	05/ 28.02.2017	8779.14	80	154	74	546800.00	1351987.56	805187.60
		660.72	90	154	64		101750.88	101750.90
	01/ 24.10.2016	843.53	80	154	74	67482.40	129903.62	62421.22
		259.54	90	154	64	23358.60	39969.16	16610.56
	02/ 28.07.2016	3377.42	80	154	74	270193.60	520122.68	249929.10
		490.45	90	154	64	44140.50	75529.30	31388.80
	01/ 09.06.2016	726.65	80	154	74	58132.00	111904.10	53772.10
		13.30	90	154	64	1197.00	2048.20	851.20
Satpuli to Ekeshwar	11/ 30.03.2017	466.17	80	154	74	37293.60	71790.18	34496.58
		79.32	90	154	64	7138.80	12215.28	5076.48
	01/ 06.07.2016	3293.04	80	154	74	100000.00	507128.16	407128.20
		107.99	90	154	64		16630.46	16630.46
Bunga Saknikhet to Bhed gaon	13/ 30.03.2017	14.43	80	154	74	0	2222.22	2222.22
	02/ 09.06.2017	444.16	80	154	74	0	68400.64	68400.64
		59.17	90	154	64	0	9112.18	9112.18
Lavar Bandun	01/ 25.02.2017	678.07	90	154	64	61026.30	104422.78	43396.48
	02/	74.25	80	154	74	0	11434.50	11434.50

	19.03.2018							
Amotha to Dowal	03/ 29.07.2016	647.90	80	154	74	32511.00	99776.60	67265.60
		116.26	90	154	64		17904.04	17904.04
Bijropani-Kunjakhal to Harolikhal	10/ 23.11.2016	1671.46	80	154	74	32567.00	257404.84	224837.80
		77.40	90	154	64		11919.60	11919.60
Total :						**1442077.80**	**3830380.16**	**2388311.42**

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 प्रोग्राम फण्ड से लीड प्रभार पर ` 32.54 लाख का अनियमित व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की निर्देशिका 9.3 के अनुसार मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लीड चार्जेज अनुमन्य नहीं है।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0 वि0, सतपुली (पौडी) के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा 05 मोटर मार्गों में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लीड चार्जेज का प्रावधान किया गया एवं अन्तिम देयकों के अनुसार ` 5.07 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त स्लिप क्लीयरेंस का प्रावधान कर ` 27.47 लाख का व्यय किया गया, जबकि स्लिप क्लीयरेंस हिल कटिंग के दौरान पूर्व से सम्मिलित थी। जॉच में यह भी पाया गया कि उक्त लीड चार्जेज एवं स्लिप क्लीयरेंस को भारत सरकार की ऑनलाईन साइट OMMAS में प्रोग्राम फण्ड के अधीन सम्बन्धित कार्यों में ही भारित किया गया है, जबकि लीड चार्जेज एवं स्लिप क्लीयरेंस के व्यय को राज्य मद से भारित किया जाना चाहिए था। मोटर मार्गों में लीड चार्जेज एवं स्लिप क्लीयरेंस का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	Cartage for excavated material (soil)			Slip clearance			महायोग
		सम्पादित मात्रा (Cum)	दर	व्यय	सम्पादित मात्रा (Cum)	दर	व्यय	
1.	पाटीसैंड–एकेश्वर से ताजवर	4640.16	100.00	464016.00	12160.64	68.40	831787.78	1295803.78
2.	किमी0 18 से टी03 गोरली	1562.22	27.30	42648.61	1647.62	68.40	112697.21	155345.82
3.	सतपुली–एकेश्वर गुरालमल्ला	0.00	0.00	0.00	7270.60	16.00	116329.60	116329.60
4.	बूँगा–साकनीखेत से भेडगॉव	0.00	0.00	0.00	7993.23	68.80	549934.22	549934.22
5.	कल्जीखाल से साकनीबडी	0.00	0.00	0.00	16707.50	68.00	1136110.00	1136110.00
	योग :–			**506664.61**			**2746858.81**	**3253523.42**

इसप्रकार, योजना के निर्देशिका के विपरीत लीड चार्जेज एवं स्लिप क्लीयरेंस को प्रोग्राम फण्ड में भारित किए जाने पर ` 32.54 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि स्टेज–I के कार्यों में हिल साइड कटिंग के उपरान्त लूज स्ट्राटा वाले स्थानों में वर्षाकाल में काफी भागों में स्लिप आता है, जिस कारण इस मद का प्राविधान किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता भी पडी तो उसका भुगतान राज्य निधि में भारित करना चाहिए न कि प्रोग्राम निधि से करना चाहिए।

अतः निर्देशिका के विपरीत प्रोग्राम फण्ड से लीड प्रभार पर ` 32.54 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को ` 66.53 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0 वि0, सतपुली (पौडी) के चयनित कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 01 प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार के देयकों से कटौती की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि	बीमा कटौती योग्य राशि
1.	सतपुली से एकेश्वर	236.55	176.67	176670
2.	बूॅगा–संकनीखेत से भेडगॉव	967.61	1046.50	1046500
3.	पाटीसैंण–एकेश्वर से तजवार	414.67	372.57	372570
4.	एकेश्वर से स्यौंली	298.38	286.65	286650
5.	पोखर से कुरखपाल	1227.77	1299.17	1299170
6.	पंचवटी से गडोली	89.19	79.52	79520
7.	भेडगढी से गुडिण्डा	262.17	257.57	257570
8.	बैजरोंपानी कुॅजखाल से हरोलीखाल	240.32	66.20	66200
9.	किमी0 18 से गोरली	181.97	180.20	180200
10.	पीपला बैण्ड दलमोटा से सरासू	262.82	214.51	214510
11.	कल्जीखाल से सकनीबडी	457.47	430.47	430470
12.	कल्जीखाल से फल्दा	246.29	235.86	235860

13.	कॉसखेत से असगर	743.69	723.88	723880
14.	पंचवटी से रीठाखाल	662.45	602.50	602500
15.	जबेरा लिंक से जजेडी	794.44	680.32	680320
योगः—		**7085.79**	**6652.59**	**6652590**

इसप्रकार, लेखापरीक्षा जॉच में चयनित 15 कार्यों (पूर्ण—13 एवं प्रगतिरत—02) के निर्माण हेतु अनुबन्धित धनराशि ` 6652.59 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत बीमा की धनराशि ` 66.53 लाख की कटौती नहीं किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुँचाया गया अपितु मोटर मार्गों में उस हद तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम भी बना रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदारों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के बावजूद ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी, इस हेतु उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से 01 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को ` 66.53 लाख के अदेय लाभ पहुँचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 क्रास ड्रेनेज एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ` 209.40 लाख का उपयोग न कर असुरक्षित मार्ग निर्माण।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0.नि0 वि0, सतपुली (पौडी) के निर्माण कार्यो के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा निम्नवत् 03 मोटर मार्गो पर भारत सरकार से स्वीकृत प्राक्कलन की मदों के सापेक्ष ` 209.40 लाख के कार्य न तो निविदा में लिए गये एवं न ही सम्पादित किए गये। जबकि निर्देशिका के प्रस्तर 11.1 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य तकनीकी एजेंसी (एस0टी0ए0) द्वारा जॉची और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई समस्त परियोजनाओं की यथास्थिति निविदा की जाएगी और एन0आर0आर0डी0ए0 के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विवरण निम्नवत् है:–

Sl. No.	Item of work	Qty. as per Sanctioned estimate by GoI (RMT)	Actual qty. executed	Rate	Amount
A. Kaljikhal to Falda					
1.	Parapet without base concrete	76	Nil	1194.72	90798.72
2.	Parapet with base concrete	26	Nil	1714.03	44564.78
3.	Pucca side drain	135	Nil	726.30	98050.50
4.	Pucca scupper	127.30	Nil	23203.90	2953856.47
	Sub-Total :				**3187270.47**
B. Kanskhet to Asgarh					
1.	Parapet without base concrete	629	Nil	1194.71	751472.59
2.	Parapet with base concrete	629	Nil	1714.04	1078131.16
3.	Pucca KC drain	8100	Nil	726.30	5883030.00
4.	Pucca scupper	128.10	Nil	23203.90	2972419.59
	Sub-Total :				**10685053.34**
C. Kaljikhal to Saknibadi					
1.	Parapet without base concrete	164	Nil	1194.72	195934.08
2.	Parapet with base concrete	68	Nil	1714.03	116554.04

3.	Pucca KC drain	685	Nil	726.30	497515.50
4.	Pucca scupper	269.70	Nil	23203.90	6258091.83
	Sub-Total :				**7068095.45**
	Grand Total (A+B+C) :				**20940419.26**

आगे, जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य विस्तृत आगणन के अन्तर्गत कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किये गये थे। क्योंकि समस्त कार्य क्रास ड्रेनेज एवं सुरक्षात्मक कार्य से सम्बन्धित थे जिनको कि सम्पादित किया जाना मार्ग निर्माण हेतु अति आवश्यक था। इन परिवर्तन हेतु भारत सरकार से भी कोई पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी। इसप्रकार, खण्ड द्वारा उक्त स्वीकृत मदों की धनराशि ` 209.40 लाख को सम्मिलित न कर न केवल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों को छोडा गया वल्कि मार्ग की गुणवत्ता से भी समझौता किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया बल्कि आपत्ति की पुष्टि करते हुए बताया कि एन0आर0आर0डी0ए0 से स्वीकृति उपरान्त यू0आर0आर0डी0ए0 में गठित कमेटी के निर्णय अनुसार उक्त सभी वर्णित कार्य मदवार कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए, तदनुसार ही उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की गई एवं अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उक्त सभी वर्णित कार्य मदवार कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तो उनको सम्पादित किया जाना चाहिए था, जबकि इन मोटर मार्गो में अन्तिम देयक के अनुसार कार्य सम्पादित किए ही नहीं गये।

अतः क्रास ड्रेनेज एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ` 209.40 लाख का उपयोग न कर असुरक्षित मार्ग निर्माण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग–III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
150 / 2015–16	1, 2 एवं 3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
150 / 2015–16	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–
   - (i) चयनित माह की माप पुस्तिकाऐं : 33/एल, 14/एल, 34/एल, 05/एल, 08/एल, 32/एल, 20/एल एवं 26/एल
   - (ii) डी0पी0आर0 : सतपुली से एकेश्वर, एकेश्वर से स्यौंली, पंचवटी से रीठाखाल एवं जबेरा लिंक से जजेडी।
   - (iii) प्राविधिक स्वीकृति शिड्यूल–बी : सतपुली से एकेश्वर, एकेश्वर से स्यौंली एवं पंचवटी से रीठाखाल।
   - (iv) चयनित कार्यों की माप पुस्तिकाएं : सतपुली से एकेश्वर, एकेश्वर से स्यौंली, पंचवटी से गडोली, भेडगढी से गुडिण्डा, विजरोंपानी कुँजखाल से हरोलीखाल, कल्जीखाल से फल्दा, कांसखेत से अजगड, पंचवटी से रीठाखाल एवं जबेरा लिंक से जजेडी।

2. सतत् अनियमितताएः
   - (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अशोक कुमार	अधिशासी अभियंता	08.08.2012 से 25.07.2017
2.	श्रीमती निमी सिंह	अधिशासी अभियंता	26.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, सतपुली (पौडी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.